क्रमांक 4985-1 जी: एस: 1-73/23997

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल, अधिकारी ।
2. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय पंजाब तथा हरियाणा, चण्डीगढ़ तथा हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

दिनांक, चण्डीगढ़ 24 सितम्बर, 1973 ।

विषय :- पंजाब सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 1952 के नियम 8 के अधीन लघु दण्ड देने के के लिए कार्यविधि ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 6987-5 जी एस -69/30299, दिनांक 16-12-69 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाउं जिनमें पंजाब सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 1952 के नियम 8 के अन्तर्गत किसी दोषी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जाने वाली कार्यविधि की व्याख्या की गई थी । इन हिदायतों में कल्याण सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1965 की सिविल याचिका संख्या 2523 के केस में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की ओर ध्यान दिलाते हुए यह कहा गया था कि यदि नियम 8 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी को को ई लघु दण्ड (Minor Punishment) दिया जाना हो तो दोषी कर्मचारी को आरोप पत्र भेजते समय प्रस्तावित लघु दण्ड (Minor Punishment) बताया जाना चाहिए और यदि आरोप पत्र के साथ प्रस्तावित दण्ड कर्मचारी को न बताया गया तो प्रस्तावित लघु दण्ड देने से पहले सम्बन्धित कर्मचारी को एक दूसरा "कारण बताओं नोटिस" आवश्य दिया जाना चाहिए जिसमें कि प्रस्तावित दण्ड बताया गया हो ।

2. पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने शादी लाल बनाम पंजाब राज्य (ए0 आई0 आर0 1973 एस0 सी0 1124) के केस में ओवर रुल कर दिया है सप्रीम कोर्ट के निर्णय के सम्बन्धित भाग की एक प्रति संलग्न है)। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय मेंयह स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त नियमावली का नियम 8, जिसके तहत लघु दण्ड (Minor Punishment) दिए जाते हैं, केवल इतना ही चाहता है कि जिन आरोपों के आधार पर किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही हो वे उसे बता दिए जाएं। सम्बन्धित कर्मचारी को प्रस्तावित लघु दण्ड (Minor Punishment) से सूचित करने की किसी स्टेज पर आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त नियमावली के नियम 7 के तहत बड़ा दण्ड देनें की कार्यवाही करने के लिये जो दो बार कारण बताओं नोटिस देने वाली व्यवस्था है वह संविधान की धारा 311(2) के आधार पर है और नियम 8 के तहत कार्यवाही करते समय उपरोक्त धारा कोई अड़चन नहीं डालती ।

3. अतः सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार की उपरोक्त दिनांक 16-12-69 की हिदायतों को रद्द समझा जाए । यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 8 के तहत कार्यवाही करते समय प्रस्तावित लघु दण्ड (Minor Punishment) सम्बन्धित कर्मचारी को बताने की आवश्यकता न हो कारण बताओं नोटिस जारी करते समय है और न ही उसका जवाब प्राप्त होने पर उसे प्रस्तावित लघु दण्ड बताने के लिए "शो काज नोटिस" जारी करने की आवश्यकता है । दूसरे शब्दों में दोषी कर्मचारी को लगाए गए आरोपों के बारे में उत्तर प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी जो भी लघु दण्ड (Minor Punishment) उचित समझें वह सीधे दे सकते हैं तथा प्रस्तावित लघु दण्ड, दोषी कर्मचारी को किसी स्टेज पर भी (आरोप पत्र के साथ या "शो काज नोटिस द्वारा" बताये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

4. अनुरोध है कि भविष्य में उपरोक्त हिदायतों के अनुसार कार्यवाही की जाए ।

भवदीय,

हस्ता:

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना और मार्गदर्शन के लिये भेजी जाती है :-